फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री पुष्करलाल मेघवाल** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– 222/**25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 04.11.2025 पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार द्वारा पत्रावली तैयार कर मय रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 954 शा.न. 955 रकबा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी का संपरिवर्तन करवाया गया तब भी रकबा 7 बिस्वा अंकित था। परन्तु सेग्रीगेशन के समय बिना किसी आदेश के आराजी नम्बर 954 शा.न. 955 का विभाजन कर आराजी नम्बर 954 रकबा 0.0243 एवं आराजी नम्बर 955 रकबा 0.0324 अंकित कर दिया गया। जिसे पूनः पूर्ववृत स्थिति बहाल कर आराजी नम्बर 954 रकबा 0.0567 अंकित किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 282 पर दर्ज आराजी नम्बर 954 शा.न. 955 रकबा 7 बिस्वा भूमि दर्ज थी। इस पश्चात तहसीलदार मावली के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक एफ (130) रीडर/भू.रू./ग्रा./13/299 दिनांक 25.07.2013 से संपरिवर्तन आवासीय ईकाई हेतु किया गया। हाल नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 331 जिसके पुराना खाता संख्या 282 पर दर्ज आराजी नम्बर 954 रकबा 0.0243 एवं खाता संख्या 655 पर दर्ज आराजी नम्बर 955 रकबा 0.0324 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया। खाता संख्या 655 का पुराना खाता संख्या 0 अंकित कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि गत जमाबंदी में आराजी नम्बर 955 अंकित नही था। गत जमाबंदी में आराजी नम्बर 954 शा.न. 955 अंकित था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी ऑनलाईन का कार्य करते समय आराजी नम्बर 954 शा.न. 955 का विभाजन कर आराजी नम्बर 954 एवं 955 अंकित कर दिया गया तथा आराजी नम्बर 955 का भी खाता पृथक से कायम कर पुराना खाता संख्या 0 अंकित कर दिया गया। जबकि खाता संख्या 0 हो ही नही सकता है। अर्थात राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना किसी समक्ष [illegible] संपरिवर्तित भूमि का विभाजन कर खाता पृथक से [illegible] कर विधिक [illegible] की है। जिसे सुधारा जाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:39 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 655 पर दर्ज आराजी नम्बर 955 रकबा 0.0324 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 331 पर दर्ज आराजी नम्बर 954 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि के संबंध में संशोधन कर रद्दोबदल करते हुए पूर्व की जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार आराजी नम्बर 954 शा.न. 955 रकबा 7 बिस्वा अर्थात 0.0567 हैक्टेयर भूमि दर्ज की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:27:39 IST
Reason: SelfAttested